प्रेसनोट इटावा पुलिस दिनांक 14.10.2025

थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत बलवा, तोड़फोड़ एवं पुलिस पार्टी पर पथराव करने के मुख्य साजिशकर्ता/वांछित अभियुक्त गगन यादव को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

घटना का विवरण:-

दिनांक 26.06.2025 को मुख्य साजिशकर्ता गगन यादव के आह्वान पर कुछ उपद्रवियों द्वारा ग्राम दादरपुर में बलवा, तोड़फोड़ व पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया। पुलिस की तत्परता से 19 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए एवं 13 वाहन हिरासत पुलिस कब्जे में लिए गए।

इस संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 176/2025 धारा 61/19(1)191(3)/190/352/109/126/(2)/132/121(2)/125(b)/324(5) बीएनएस व धारा 7 सीएलए एक्ट व धारा 3 प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट, 1984 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपारधिक गतिवधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित पुलिस टीम दिनांक 26.06.2025 को **थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत बलवा, तोडफोड एवं पुलिस पार्टी पर पथराव करने के मुख्य साजिशकर्ताएवंमु0अ0सं0 176/25 धारा 61/19(1)191(3)/190/352/109/126/(2)/132/121(2)/125(b)/324(5) बीएनएस व धारा 7 आपराधिक कानून (संसोधन) अधि0 व धारा 3 प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट, 1984 मे वांछित अभियुक्त गगन यादव** की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयासरत थी। इसी क्रम मे कार्यवाही करते हुये संयुक्त पुलिस टीमो द्वारा दिनांक 13/14.10.2025 की रात्रि मे अभियुक्त गगन यादव उपरोक्त को जनपद मेरठ से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। प्रकरण मे साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

गगन यादव उर्फ शुभम यादव पुत्र ओमकार सिंह निवासी गंगानगर मवाना रोड मेरठ थाना गंगानगर जनपद मेरठ इटावा **उम्र करीब 30 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 176/25 धारा 61/19(1)191(3)/190/352/109/126/(2)/132/121(2)/125(b)/324(5) बीएनएस व धारा 7 आपराधिक कानून (संसोधन) अधि0 व धारा 3 प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट, 1984 थाना बकेवर जनपद इटावा।